पटना में दिनांक—06 फरवरी, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :—

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

1. बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्तें) नियमावली, 2000 (समय—समय पर यथा संशोधित) के नियम 5(4) में उल्लिखित पुलिस पदाधिकारियों की निर्धारित उम्र सीमा में संशोधन हेतु बिहार विशेष सुरक्षा ग्रुप (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2018 अधिसूचित करने के संबंध में। — 1. **स्वीकृत।**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2017—18 से राज्य योजनान्तर्गत 23 जिलों यथा—1. नालन्दा 2. रोहतास 3. भभुआ (कैमूर) 4. बक्सर 5. जहानाबाद 6. अरवल 7. नवादा 8. औरंगाबाद 9. सीवान 10. गोपालगंज 11. सीतामढ़ी 12. शिवहर 13. समस्तीपुर 14. सुपौल 15. अररिया 16. किशनगंज 17. कटिहार 18. बांका 19. लखीसराय 20. शेखपुरा 21. जमुई 22. खगड़िया 23 बेगूसराय में एक—एक नये प्राक्—परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन एवं पदों के सृजन की स्वीकृति। — 2. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

3. बिहार काश्तकारी (संशोधन) नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में। — 3. **स्वीकृत।**

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

4. श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ (संप्रति निलंबित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर) के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के ठोस साक्ष्य मिलने के कारण विभागीय संकल्प संख्या—409 दिनांक—28.04.2014 द्वारा उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(XI) के तहत सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, की शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में। — 4. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

5. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष में प्रावधानित राशि में वृद्धि/परिवर्त्तन करने एवं अधिसूचित रोगों के अलावे अन्य रोगों को शामिल करने की स्वीकृति संलेख की कंडिका 2 से 10 में निहित प्रावधानों/प्रक्रिया के अनुरूप देने के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

6. "बिहार परिधापक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2018" पर स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव। — 6. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

7. राज्य योजनान्तर्गत पुलिस भवनों के निर्माण हेतु पुरानी चालू योजनाओं को पूर्ण करने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से ₹ 3000.00 लाख (तीस करोड़ रू०) मात्र की अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

8. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना का हिस्सा पूंजी राशि 40.00 (चालीस) करोड़ रूपये से बढ़ाकर 80. 00 (अस्सी) करोड़ रूपये एवं बढ़ी हुई हिस्सा पूंजी की राशि का भुगतान 08.00 (आठ) करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की दर से करने तथा निगम के Memorandum & Articles of Association में तदनुरूप संशोधन/परिवर्त्तन करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

9. मे० सनमार्क इनर्जी प्रोजेक्ट लि०, नई दिल्ली द्वारा जलसार, चिलम, शेरघाटी, गया में 10 मेगावाट क्षमता का ए०सी० सोलर पॉवर प्लान्ट ईकाई के स्थापना हेतु कुल रू० 8123.86 लाख (इकासी करोड़ तेईस लाख छियासी हजार) रूपए की लागत से निजी पूँजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

10. मे० श्री सीमेंट लि०, हंस भवन, बहादुर साह जाफर मार्ग, नई दिल्ली द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र, औरंगाबाद में 30 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट सहित 5.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता का सीमेंट प्लांट मे० न्यू बिहार सीमेंट प्लांट (श्री सीमेंट की एक इकाई) की स्थापना हेतु कुल रू० 49042.00 लाख (चार सौ नब्बे करोड़ बेयालीस लाख रूपये) की लागत के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

11.	"बिहार अधीनस्थ खेल एवं युवा संवर्ग नियमावली–2018" के गठन की स्वीकृति के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

13.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल–2, विक्रमगंज सम्प्रति निलंबित सहायक अभियंता, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

14.	बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका–158 कंडिका–294 IX(xvi), कंडिका–294 II(i) कंडिका 294 II (iii) तथा कंडिका 294 VIII में संशोधन के संबंध में।	14.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

15.	राज्य के दिव्यांग सरकारी सेवकों को परिवहन भत्ता, पुलिस प्रशिक्षण/अकादमी के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता तथा परिचारी/चालकों को वर्दी भत्ता के पुनरीक्षित दर के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17.	"वित्तरहित शिक्षा नीति" के समाप्ति के उपरान्त निर्दिष्ट मापदण्ड पूर्ण करने वाले स्थापना अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (इंटर महाविद्यालय) के शैक्षणिक सत्र 2009–11, 2010–12 एवं 2011–13 में सरकारी अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹ 3,37,49,16,400/–(तीन अरब सैंतीस करोड़ उनचास लाख सोलह हजार चार सौ) रूपये की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 3,30,00,00,000/–(तीन अरब तीस करोड़) रूपये मात्र की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य के परम्परागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मियों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण अवधि के वेतनादि/पेंशनादि भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वेतनादि मद में रू० 3,61,71,17,000/– (तीन अरब इकसठ करोड़ इकहत्तर लाख सत्तरह हजार रू०) मात्र एवं गैर वेतनादि मद में रू० 1,29,76,06,000/– (एक अरब उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख छः हजार रू०) मात्र अर्थात कुल रू० 4,91,47,23,000/– (चार अरब इक्यानवें करोड़ सैंतालीस लाख तेईस हजार रू०) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम राशि स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 18. **स्वीकृत।**

संसदीय कार्य विभाग

19. बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र का छठा सम्मेलन दिनांक–16.02.2018 से 19.02.2018 तक पटना में आयोजित किये जाने पर होने वाले व्यय के भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 1.40 करोड़ रूपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 19. **स्वीकृत।**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

20. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Writ Petition (Civil) No.-183/2013 में पारित आदेश के अनुपालनार्थ सिपाही एवं समकक्ष पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन सं०–01/2017 तथा 02/2015 का क्रमशः लिखित परीक्षा एवं शारीरिक जाँच–माप परीक्षण हेतु कुल ₹ 9,00,00,000 (नौ करोड़ रू०) मात्र राशि का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति एवं इसके निमित्त बिहार बजट मैनुअल–2016 के नियम–100 को क्षांत करने की स्वीकृति। — 20. **स्वीकृत।**

कृषि विभाग

21. किसान सलाहकार योजना अन्तर्गत किसान सलाहकारों के मानदेय में 8000/–प्रतिमाह को दिनांक–01.04.2017 के प्रभाव से 12000/–प्रतिमाह किये जाने तथा इस हेतु किसान सलाहकार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत 6424.88149 लाख (चौसठ करोड़ चौबीस लाख अठासी हजार एक सौ उनचास) रूपये के अतिरिक्त 3110. 40 लाख (एकतीस करोड़ दस लाख चालीस हजार) रूपये, कुल 9535.28149 लाख (पंचानवे करोड़ पैंतीस लाख अठाइस हजार एक सौ उनचास) रूपये की योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति का प्रस्ताव है। — 21. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23.	LPA No. 724/2016 (C.W.J.C No. 6122/2014 से उद्भूत) कामेश्वर पाण्डेय बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–04.04.2017 को पारित अन्तरिम आदेश में की गयी पृच्छा के आलोक में दिनांक–01.01.1996 से स्वीकृत वेतनमान ₹6500–10500/– को संशोधित कर ₹8000–13500/–स्वीकृत करने के संबंध में।	**23.**	**स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

24.	भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत कराये जाने वाले मूल प्रकृति के कार्यों का संरचना एवं कार्य प्रमंडलों के बीच आवंटन करने के लिए अभियंता प्रमुख को अधिकृत करने का प्रस्ताव।	**24.**	**स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

25.	होटल प्रबंधन संस्थान, खानपान एवं पोषाहार, बोधगया के डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति।	**25.**	**स्वीकृत।**